दिनांक 30.4.2018 आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट बैरोज़ार सरकार 300 आज ई.डी.ओ. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली ईमलवा लेकर 20.6.18 केम्प सिन्दरथ में 20-6-18 पेश हो

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 253/2016 अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट उदयभानसिंह बनाम स्टेटा

निर्णय आदेशिका
दिनांक 20-6-2018

आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशनुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र सिंदरथ मे मेरे समक्ष पेश हुई । विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार, सिरोही उपस्थित होकर विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया । हमने पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खसरा नंबर 861, धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस दो, नक्शा ट्रेस, लगान रसीद, नोटिस 80 सीपीसी का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थी उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी का खातेदार कृषक नही है बल्कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बिलानाम सरकार राजस्थान सरकार के खाते की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि भूमि पर गत 40 सालों से निरन्तर शान्तिपूर्वक निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने संबंधी खसरा परिर्वतनशील की प्रमाणित प्रतियॉ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश नही किया है। ऐसी स्थिति मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का कानून मे कोई प्रावधान नही है तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नही कर सकता । हस्तगत प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या एक व दो राज्य सरकार प्रश्नगत आराजी के अभिलिखत खातेदार है। और इस प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण जो टाईटल व आधिपत्य वादग्रस्त कृषि भमि पर काबिज काश्त कहोने का दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे प्रार्थी उक्त प्रार्थनापत्र को सिद्व करने मे असफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपरमित क्षति के बिन्दुं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे जाना जाहिर होता है। अतः विधि प्रावधानो के तहत अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद नही किया जा सकता है। अतः उक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विरूद्व राज्य सरकार स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारीज) किया जाता है। उपरोक्त निर्णय रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र सिन्दरथ मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

20/6/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)